


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रोहिताश बनाम महावीर सिंह 45/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.11.17	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रूक रूककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मार्च 17 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी कई बार अनुपस्थित रहे हैं और इसके लिये उन्हें अंतिम अवसर भी दिये गये हैं, इसके उपरान्त भी आज अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   (राजेश्वर सिंह)  संभागीय आयुक्त,  जयपुर। </p>	